राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2473/2024

सुभाष चन्द

–अपीलार्थी

बनाम

1. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, भरतपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्रह्मवाद, बयाना, जिला भरतपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.08.2024
आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह एवं प्रेरणा मिश्रा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्रहमवाद, बयाना, भरतपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 27.07.2024 के द्वारा दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है, जिसके 50 प्रतिशत स्थाई निशक्तता है। अपीलार्थी चलने फिरने में असमर्थ है। अपीलार्थी ट्राई–साईकिल से आता जाता है और उसे आलोच्य आदेश से स्थानांतरित विद्यालय में आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने समय समय पर दिव्यांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं। परिपत्र दिनांक 21.08.2008 के द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि पदस्थापन के समय विकलांग व्यक्ति को निश्चित स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित

करने के सम्बन्ध में विचार किया जावें, परंतु अपीलार्थी से कोई उचित स्थान नहीं मांगा गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है, जिसकी पदोन्नति के पश्चात उनका पदस्थापन दूर के विद्यालय में किया गया है। परिपत्र दिनांक 21.08.2008 के अनुसार पदस्थापन के समय विकलांग व्यक्ति को निश्चित स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी से विकल्प मांगा जाना चाहिए था।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 27.07.2024 की पालना में नियत दिनांक तक नये स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किये जाने के आधार पर पदोन्नति का परित्याग नहीं माना जाएगा।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)